रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2224] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 12, 2016/भाद्र 21, 1938
No. 2224] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 12, 2016/BHADRA 21, 1938

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 सितम्बर, 2016

का.आ.2924(अ).—जबकि इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन (जिसे यहां आई.आर.एफ. कहा गया है) जोकि अपने पंजीकरण संख्या बी-1409/मुबंई के तहत चैरिटी कमिश्नर मुंबई के साथ एक ट्रस्ट के तौर पर पंजीकृत है, ने, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का 42) की धारा 11 की उप-धारा (i) के अंतर्गत एक पंजीकरण प्रमाण-पत्र प्राप्त किया है, जिसकी पंजीकरण संख्या 083780696आर. है, और जिससे उसे भारत में उन शैक्षिक और सामाजिक कार्यक्रमों को, जोकि राष्ट्रीय हित के लिए हानिकर न हो, आयोजित करने के लिए विदेशी सहायता प्राप्त करने का प्राधिकार प्राप्त हो गया है;

और जबकि उपलब्ध रिकार्डों और आसूचना एजेन्सियों से प्राप्त रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्रीय सरकार संतुष्ट है कि आई.आर.एफ. ने उक्त अधिनियम के कुछ उपबंधों का उल्लंघन किया है;

अब, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 की धारा 11 की उप-धारा (3) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह स्पष्ट करती है कि आई.आर.एफ. उक्त अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए नियमों के अनुसरण में, किसी विदेशी सहायता को स्वीकार करने से पहले केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति लेगी।

[फा. सं. II/21022/58(0040)2013-एफ.सी.आर.ए.(एम.यू.)]

ब्रजेश कुमार सिंह, अवर सचिव